रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—19 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 21—दिसम्बर 27, 2019 (अग्रहायण 30, 1941)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 21—DECEMBER 27, 2019 (AGRAHAYANA 30, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	609
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1439
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	11
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3151
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियो के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	7005
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	375
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	2411
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	609
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1439
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	3151
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7005
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	375
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2411
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

सं. 104-प्रेज/2019—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री धर्मेश कुमार शाही,

उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 22.06.2007 को जलालुद्दीन और नौशाद नामक हुजी के पाकिस्तान प्रशिक्षित खूंखार आतंकवादियों के लखनऊ शहर के अमीनाबाद क्षेत्र में घातक हथियारों एवं भारी विस्फोटकों के साथ मौजूद होने के बारे में जानकारी मिली। उन्हें रात्रिकाल में कैसरबाग बस अड्डे से एक बस में चढ़ना था। श्री अविनाथ मिश्र, इंस्पेक्टर एसटीएफ तथा श्री बी.एम. पाल, एसआई के नेतृत्व में दो टीमें आतंकवादियों को पकड़ने के लिए दिनांक 23.06.2007 को लगभग 0015 बजे कैसरबाग पहुंची। पहली टीम ने रेजिडेंसी के सामने दक्षिणी तिराहे पर मोर्चा संभाला और दूसरी टीम को उच्च न्यायालय तिराहे पर तैनात किया गया। कुछ देर बाद दो व्यक्ति बैग लिए हुए एक रिक्शे से सीएमओ कार्यालय की तरफ से आए। वे रिक्शे से नीचे उतरे। श्री अभय नारायण शुक्ला, इंस्पेक्टर, श्री धर्मेश कुमार शाही, एसआई और पहली टीम के अन्य सदस्य सावधानीपूर्वक उनकी ओर बढ़े। उन्हें रूकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। उनमें से एक ने अचानक पुलिस दल पर गोली चला दी। सौभाग्यवश श्री ए.एन. शुक्ला इंस्पेक्टर और श्री डी.के. शाही, एसआई बाल-बाल बच गए। दोनों सावधानीपूर्वक अंधेरे में उनकी ओर बढ़े। दोनों आतंकवादियों की गोलीबारी के दायरे में थे। उन्होंने अदम्य साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया और अपनी जान भी जोखिम में डाली। चूंकि, आतंकवादियों ने फिर से पुलिस दल पर गोली चलाई, इसलिए दोनों अधिकारियों ने आत्मरक्षा में नियंत्रित एवं सीमित गोलीबारी की। तब तक यह स्पष्ट हो गया था कि वे वास्तव में खूंखार आतंकवादी थे और घातक हथियारों से लैस थे। दूसरी टीम बचाव में गोलीबारी करने के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो, उस स्थान पर पहुंच गयी। घने अंधेरे का लाभ उठाकर और अपने वृहत अनुभव का उपयोग करते हुए इंस्पेक्टर ए.एन. शुक्ला और एसआई डी.के. शाही अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकवादियों की ओर बढ़े तथा अत्यधिक साहस एवं स्फूर्ति का परिचय देते हुए उन्होंने दोनों खूंखार आतंकवादियों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। उस समय उनमें से एक पुलिस दल पर गोलीबारी करने के इरादे से पिस्तौल की स्लाइड खींच रहा था और दूसरा भरी हुई एके-47 थैले से बाहर निकाल रहा था।

पुलिस द्वारा की गई बरामदगियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

1. एक एके-47 राइफल, दो मैगजीन और 60 जिंदा कारतूस
2. एक 7.62 बोर की स्टार पिस्तौल, 02 जिंदा कारतूस और 7.62 बोर के 4 खाली खोखे
3. 9 किग्रा. भारी विस्फोटक
4. 10 डेटोनेटर

5. 9 वोल्ट बैटरी एवं तार के साथ 04 टाइमर एलार्म घड़ी

6. 20 हथगोले।

इस मुठभेड़ में श्री धर्मेश कुमार शाही, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक की मंजूरी को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए प्रदान किया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23.06.2007 से दिया जाएगा।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवंबर 2019

सं.एफ. 9-3/2017-यू.3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत्त) हनमकोंडा, वारंगल, तेलंगाना को सामान्य श्रेणी के तहत चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से निम्नलिखित विभागों के साथ समविश्वविद्यालय दर्जा प्रदान करने के लिए दिनांक 17.3.2017 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था:—

i. गणित और सांख्यिकी विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);

ii. भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);

iii. कंप्यूटर विज्ञान विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);

iv. रसायन विज्ञान विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);

v. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);

vi. जैव-रसायन विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);

vii. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम); और

viii. वाणिज्य और व्यवसाय प्रबंधन विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम)

3. और जबकि, यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार, आवेदन को दिनांक 29.3.2017 को जांच और अपनी सलाह मंत्रालय को भेजने हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया गया था।

4. और जबकि, विनियम के प्रावधानों के अनुसार, यूजीसी द्वारा संस्था में उपलब्ध अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के स्थानिक मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। जैसाकि संस्था, एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है, जिनका विनियमन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटी) द्वारा किया जा रहा है, एआईसीटीई ने भी यूजीसी विशेषज्ञ समिति के साथ संस्था के वास्तविक निरीक्षण के लिए एक अलग विशेषज्ञ समिति गठित की थी। दोनों समितियों ने 14-15 दिसंबर, 2018 के दौरान संस्था का दौरा किया और सिफारिश की कि चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल को सम विश्वविद्यालय दर्जा केवल संस्था को विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझाव के अनुपालन की प्रस्तुति के बाद दिया जा सकता है।

5. और जबकि, संस्था ने आयोग के निर्णय के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यूजीसी की अनुपालन सत्यापन समिति द्वारा संस्था की अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन किया गया है। समिति ने सिफारिश की थीकि चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल, तेलंगाना को प्रस्ताव के अनुसार सम-विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सुझाव दिया कि संस्था से

अनुसंधान और प्रकाशन की गुणवत्ता और नवाचार सुधार के बारे में कार्य योजना प्राप्त करने के बाद मामले पर पुनः विचार किया जाएगा।

6. और इसके अतिरिक्त जबकि, चैतन्य डिग्री कालेज, वारंगल, तेलंगाना ने कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसका यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया और चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल, तेलंगाना को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा दिनांक 9.8.2019 को आयोजित अपनी 543वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में विचार किया गया, जिसमें आयोग ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल, तेलंगाना को 'चैतन्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान' के नाम से सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

7. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर, एतद्द्वारा सामान्य श्रेणी के तहत, चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत्त), हनमकोंडा, वारंगल, तेलंगाना को 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान' वारंगल, तेलंगाना के नाम से संभावित तारीख के साथ 5 वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

i. काकतिया विश्वविद्यालय, वांरगल का चैतन्य डिग्री कॉलेज के साथ संबंधन यह अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगा। इस अधिसूचना के पश्चात् दाखिला प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सम-विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करेंगे।

ii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना को सम-विश्वविद्यालय का पूर्ण दर्जा प्रचलित नियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोग की सलाह पर संस्था की शैक्षिक और कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर 5 वर्षों के बाद प्रदान किया जाएगा।

iii. इस अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर समस्त चल और अचल परिसम्पत्तियों को 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ' वारंगल के नाम पर कानूनी रूप से अंतरित किया जाएगा।

iv. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान' वारंगल, तेलंगाना समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में निहित शर्तों का पालन करेगा।

v. सम-विश्वविद्यालय संस्था/या उसकी संघटक शैक्षिक इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्वों का यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई विपथन नहीं किया जाएगा।

vi. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना व्यावसायिक और लाभ अर्जन प्रकृति के किसी भी कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा।

vii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम यूजीसी/संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होंगे।

viii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना नए शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ कैम्पस, ऑफ शोर कैम्पस, केवल इस विषय पर यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप शुरू करेंगे।

ix. सम-विश्वविद्यालय के नाम पर छात्रों का दाखिला/नामांकन केवल इस अधिसूचना के जारी होने के बाद होगा।

x. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरल और नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उचित उपाय करेगा। यह संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह यूजीसी विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में विस्तार के भी प्रयास करेगा।

xi. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थांन', वारंगल, तेलंगाना राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा सभी पात्र शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के वैध प्रत्यायन हेतु सभी आवश्यक उपाय करेगा और संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

xii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना विद्यार्थियों के दाखिले, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीकरण, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता का संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को प्रारंभ करना, आदि के मामले में सांविधिक परिषदों के निर्धारित सभी मानकों और प्रक्रियाओं को निरंतर रूप से लागू करेगा और इसका अनुपालन करेगा।

xiii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी/एमएचआरडी के अनुमोदन के लिए अपने संगम ज्ञापन (एमओए)/नियम प्रस्तुत करेगा। संस्थान जब कभी आवश्यक हो, प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतन या संशोधित या रूपांतरित करेगा।

xiv. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना यूजीसी नियमों एवं विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का अनुपालन करेगा।

xv. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना इस मंत्रालय के राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भागीदारी करेगा।

वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2019

संकल्प

सं. ओ—25021/1/2019—एसएम——दिनांक 28 जनवरी, 2002 के संकल्प फाईल सं.—एसडब्ल्यू—एमआईसी/27/77/एमडी/एजी के अनुसार गठित तथा दिनांक 25 जनवरी, 2012 के संकल्प सं. एसटी—11011/2/2011—एमए के अनुसार अंतिम बार संशोधित राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड के संगठन में पिछले 28 सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 नए सदस्यों को शामिल करते हुए एक संशोधन किया जाता है:——

(i)	पोत परिवहन मंत्रालय से प्रतिनिधि	— सदस्य
(ii)	मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से प्रतिनिधि	— सदस्य
(iii)	राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र से प्रतिनिधि	— सदस्य

2. दिनांक 28.01.2002 के संकल्प के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प निम्नलिखित को भेजा जाए :——

(i) नौवहन महानिदेशक, मुंबई

(ii) राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड के सभी सदस्य

(iii) सभी महापत्तनों/गैर महापत्तनों के अध्यक्ष

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जनता की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सतिंदर पाल सिंह
संयुक्त सचिव (पोत परिवहन)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

सं. क्यू-16012/1/2017-ईएसए(एनएलआई)—वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, श्रम और रोजगार मंत्रालय की स्वायत्त निकाय के संबंध में भारत के राजपत्र के भाग-I, उपखण्ड-I में प्रकाशनार्थ, श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 23.05.2019 और दिनांक 20.12.2018 की अधिसूचनाओं की निरंतरता में तथा उपर्युक्त सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों के नियम III के अनुसरण में,

निम्नलिखित संसद सदस्यों को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के सामान्य परिषद् में सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाता हैः—

1.	श्रीविरेन्द्र कुमार संसद सदस्य (लोक सभा) 22, महादेव रोड़, नई दिल्ली-110001. दूरभाषः 011-23355600, 23719498 ईमेल: vkumar@sansad.nic.in	सदस्य
2.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा संसद सदस्य (राज्य सभा) 157, साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली-110001. दूरभाषः 09435053199 (मोबाइल)	सदस्य

अतुल कुमार सिंह
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 11th December 2019

No. 104—Pres/2019—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Dharmesh Kumar Shahi

Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 22.06.2007, information about the presence of dreaded Pakistan trained terrorists of HUJI namely Jalaluddin and Naushad carrying lethal weapons and high explosives in Aminabad area of Lucknow city was received. They were to board a bus from Kaisarbagh bus stand in the night. Two teams under the leadership of Shri Avinash Mishra, Inspector STF and Shri B.M. Pal, SI reached Kaisarbagh at around 0015 hrs on 23.06.2007 to nab the terrorists. The first team took position at the southern tri-junction in front of the Residency and the other team was placed at the High Court tri-junction. After some time two persons carrying bags came by a rickshaw from the CMO office side. They got down the rickshaw. Shri Abhay Narain Shukla, Inspr., Shri Dharmesh Kumar Shahi, S.I. and other members of the first team moved cautiously towards them. They were exhorted to stop and surrender. One of them suddenly fired on the police party. Fortunately Shri A.N. Shukla & Shri D.K. Shahi, SI had a narrow escape. Both moved cautiously towards them in darkness. Both were within the firing range of the terrorists. They showed exemplary courage, sense of duty and also risked their lives. As the terrorist again fired on the police party, both the officers responded with controlled and calculated firing in self defence. It was clear by then that they were really dreaded terrorists and were armed with lethal weapons. The second team reached the spot for providing covering fire, if needed. Taking the advantage of prevailing darkness, using their vast experience Inspr. A.N. Shukla and SI D.K. Shahi approached towards the terrorists by risking their lives and showing great courage and valour with swiftness successfully nabbed both the dreaded terrorists. At that time, one of them was pulling the slide of a pistol and the other was taking out a loaded AK-47 from bag with an intention to open fire at the police party.

The details of recoveries made by the police are as under:—

1. One rifle AK-47, two magazine and 60 live Cartridges.
2. One Star Pistol 7.62 bore, 02 live Cartridges and 4 empty shells of 7.62 bore.
3. High explosive 9 Kg
4. 10 Detonator
5. 04 Timer alarm watch with 9 V Battery and wire
6. 20 Hand Grenade

In this encounter Shri Dharmesh Kumar Shahi, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23/06/2007.

P PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th November 2019

No. F.9-3/2017-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

2. And whereas, an application was received on 17.03.2017 for grant of Deemed to be University status under General Category to Chaitanya Degree College (Autonomous), Hanamkonda, Warangal, Telangana in the name of Chaitanya Institute of Science & Technology consisting of the following Departments under Section 3 of the UGC Act, 1956:—

i. Department of Mathematics & Statistics (UG & PG Courses);
ii. Department of Physics & Electronics (UG & PG Courses);
iii. Department of Computer Science (UG & PG Courses);
iv. Department of Chemistry (UG & PG Courses);
v. Department of Biotechnology (UG & PG Courses);
vi. Department of Biochemistry (UG & PG Courses);

vii. Department of Microbiology (UG & PG Courses); and

viii. Department of Commerce & Business Management (UG & PG Courses).

3. And whereas, the application was forwarded to UGC on 29.03.2017 for examination as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 and sending its advice to this Ministry.

4. And whereas, as per the provisions of the Regulations, an Expert Committee was constituted by UGC for on the spot assessment of the infrastructure and other facilities available with the Institution. Since the Institution is offering MBA & MCA Courses which are being regulated by All India Council for Technical Education (AICTE), AICTE also constituted a separate Expert Committee for the physical inspection of the Institution alongwith the UGC Expert Committee. Both the Committees visited the Institution during 14-15th December, 2018 and recommended that Deemed to be University status to Chaitanya Degree College, Warangal may be given only after submission of compliance by the Institution on certain suggestions given by the Expert Committees.

5. And whereas, the Institution submitted compliance report following to the decision of the Commission. The compliance report of the Institution has been verified by the Compliance Verification Committee of the UGC. The Committee recommended that Chaitanya Degree College, Warangal, Telangana may be granted Deemed to be University status as per the proposal. Further, the Commission resolved that the case will be re-considered after obtaining the action plan from the Institution about improving the quality of research & publications, and innovations.

6. And further whereas, Chaitanya Degree College, Warangal, Telangana submitted the action plan which was assessed by the Expert Committee of UGC and recommended for conferment of Deemed to be University status to Chaitanya Degree College, Warangal, Telangana. The reports of the Committee were considered by the Commission in its 543rd meeting (Item No. 2.12) held on 9.8.2019 wherein the Commission approved the recommendations of the Committee for conferment of Deemed to be University status to Chaitanya Degree College, Warangal, Telangana in the name of 'Chaitanya Institute of Technology & Science' under Section 3 of the UGC Act, 1956.

7. Now, therefore, on the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby declare Chaitanya Degree College (Autonomous), Hanamkonda, Warangal, Telangana as an Institution Deemed to be University in the name of 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana under general category for a provisional period of five years with prospective date. The said declaration is subject to the following conditions:

i. The Kakatiya University, Warangal will disaffiliate Chaitanya Degree College within 30 days from the issuance of this Notification. The students admitted after this Notification will get Degree from the Deemed to be University.

ii. The Deemed to be University status of 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall be confirmed after five years based on their academic and performance report of the Institution and on the advice of the Commission, as per the provisions of the prevailing Regulations.

iii. The entire moveable & immoveable assets will be legally transferred in the name of 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana within one year of this Notification.

iv. 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall adhere to the conditions contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.

v. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of HRD.

vi. 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

vii. The academic programmes to be offered at 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

viii. 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

ix. The students shall be admitted/enrolled in the name of Deemed to be University only after issuance of this Notification.

x. 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations/Guidelines.

xi. 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC),

as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.

xii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course/programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses/programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana.

xiii. 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall submit its Memorandum of Association (MoA)/Rules to UGC/MHRD for approval as per the provisions of the existing Regulations. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA/Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

xiv. 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC.

xv. 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

V.L.V.S.S. SUBBA RAO
Senior Economic Advisor

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 25th November 2019

No. O-25021/1/2019-SM—An amendment of inclusion of the following three new members in addition to the previous 28 members is made in the composition of the National Maritime Search and Rescue Board constituted as per resolution F. No. SW-MIC/27/77/MD/AG dated 28th January, 2002 and last amended as per resolution No. ST-11011/2/2011-MA dated 25th January, 2012:—

(i)	Representative from Ministry of Shipping	-	Member
(ii)	Representative from Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying	-	Member
(iii)	Representative from National Centre for Ocean Information Services	-	Member

2. The other provisions of the resolution dated 28/01/2002 will remain unchanged.

SATINDER PAL SINGH
Joint Secretary (Shipping)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 5th December 2019

No. Q-16012/1/2017-ESA(NLI)—In continuation to Notifications dated 23/05/2018 and 20.12.2018 of the Ministry of Labour & Employment, Government of India, published in Part I, Section I of Gazette of India in respect of V.V. Giri National Labour Institute, Noida, an autonomous body of Ministry of Labour & Employment and in pursuance of Rule III of the Rules and Regulations of the aforesaid Society, the following Member of Parliament are nominated as members of the General Council of V.V. Giri National Labour Institute, Noida:—

1.	Dr. Virendra Kumar Member of Parliament (Lok Sabha) 22, Mahadev Road, New Delhi – 110001. Tel: 011-23355600, 23719498 Email: vkumar@sansad.nic.in	Member
2.	Shri Kamakhya Prasad Tasa Member of Parliament (Rajya Sabha) 157, South Avenue, New Delhi–110001. Tel: 09435053199 (M)	Member

ATUL KUMAR SINGH
Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY Date: 2019.12.23 13:52:16 +05'30'